

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 719/2023

अनवान : -

1. कृष्ण पुत्र रामेश्वर जाति सुथार निवासी एक आरपीएम तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र रामेश्वर जाति सुथार निवासी एक आरपीएम तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र हेतराम जाति सुथार निवासी एक आरपीएम तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त०
अधि० 1955


उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 15/5/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 66/13 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.4930 है० भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम ब० हि० ब० दर्ज है तथा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 80/80 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7800 है० भूमि व खाता संख्या 81/14 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7460 है० भूमि व खाता संख्या 95/37 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2530 है० भूमि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 132/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.1771 है० भूमि एवं 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 155/133 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.5560 है० भूमि एवं रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.4300 है० भूमि तथा रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 129/125 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है० भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि बाबत पारिवारिक समझौता किया हुआ है जिसके अनुसार रोही मौजा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प० नं० 312/381 (60) के किला नं. 21 के मिन पूर्व की 0.121 है०, 21 के मिन दक्षिण की 0.006 है०, 22 की 0.253 है० प० नं० 312/382 (71) किला नं. 11/2 की 0.240 है०, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 है० प० नं० 311/382 (70) किला नं. 15/1 की 0.026 है० गौ मु० खाला, 15/1 के मिन पूर्व की 0.132 है० भूमि एवं रोही मौजा 1 आरपीएम के प० नं० 317/379 (40) के किला नं. 2/4 की 0.


उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0277 है0 एवं रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के प0 नं0 315/398 (7) किला नं. 4/2 की 0.215 है0, 5/2 की 0.215 है0 भूमि पर वादी संख्या 1 काबिज है एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0 नं0 311/381 (60) के किला नं. 20 की 0.253 है0, 21 के मिन पश्चिम की 0.126 है0 प0 नं0 312/382 (71) के किला नं. 21/2 की 0.240 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 भूमि व रोही मौजा 2 आरपीएम के प0 नं0 315/397 (72) के किला नं. 16/3 की 0.063 है0, 24/1 की 0.240 है0, 25 की 0.253 है0 भूमि व रोही मौजा 1 आरपीएम के प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 2/4 के मिन उत्तरी पूर्व की 0.0277 है0 भूमि पर वादी संख्या 2 काबिज है एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0 नं0 311/382 (70) के किला नं. 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 15/2 के मिन पश्चिम की 0.095 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.228 है0, 17 की 0.253 है0, व रोही मौजा 1 आरपीएम के प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/4 के मिन पश्चिम की 0.0967 है0 भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि जमाबंदी में दर्ज हक हिस्सा व पारिवारिक बंटवारा मुताबिक खाता व लगान अलग करवा लेवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खाता में दर्ज है। पक्षकारान का बाहमी राजीनामा हो चुका है एवं मुताबिक राजीनामा ही वाद भूमि पर काबिज है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को

al
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतेराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 66/13 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.4930 है। भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम ब0 हि0 ब0 दर्ज है तथा रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 80/80 के कुल खसरे 15 का कुल क्षेत्रफल 2.7800 है। भूमि व खाता संख्या 81/14 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 0.7460 है। भूमि व खाता संख्या 95/37 के कुल खसरे 1 की कुल तादादी 0.2530 है। भूमि रोही मौजा 1 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 132/77 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 0.1771 है। भूमि एवं 2 आरपीएम तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 155/133 के कुल खसरे 3 की कुल तादादी 0.5560 है। भूमि एवं रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 के खाता संख्या 128/127 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 0.4300 है। भूमि तथा रोही मौजा 2 ए बारानी तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 के खाता संख्या 129/125 के कुल खसरे 20 का कुल क्षेत्रफल 5.0600 है। भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादीगण ने मुताबिक बाहमी बंटवारा वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु वाद पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतेराज नहीं है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0 नं0 312/381 (60) के किला नं. 21 के मिन पूर्व की 0.121 है0, 21 के मिन दक्षिण की 0.006 है0, 22 की 0.253 है0 प0 नं0 312/382 (71) किला नं. 11/2 की 0.240 है0, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 है0 प0 नं0 311/382 (70) किला नं. 15/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 के मिन पूर्व की 0.132 है0 भूमि एवं रोही मौजा 1 आरपीएम के प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 2/4 की 0.0277 है0 एवं रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के प0 नं0 315/398 (7) किला नं. 4/2 की 0.215 है0, 5/2 की 0.215 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0 नं0 311/381 (60) के किला नं. 20 की 0.253 है0, 21 के मिन

ॐ.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पश्चिम की 0.126 है0 प0 नं0 312/382 (71) के किला नं. 21/2 की 0.240 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 भूमि व रोही मौजा 2 आरपीएम के प0 नं0 315/397 (72) के किला नं. 16/3 की 0.063 है0, 24/1 की 0.240 है0, 25 की 0.253 है0 भूमि व रोही मौजा 1 आरपीएम के प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 2/4 के मिन उत्तरी पूर्व की 0.0277 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0 नं0 311/382 (70) के किला नं. 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 15/2 के मिन पश्चिम की 0.095 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.228 है0, 17 की 0.253 है0, व रोही मौजा 1 आरपीएम के प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/4 के मिन पश्चिम की 0.0967 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15/05/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al.
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 719/2023

अनवान : -

1. कृष्ण पुत्र रामेश्वर जाति सुथार निवासी एक आरपीएम तहसील नोहर।
2. भजनलाल पुत्र रामेश्वर जाति सुथार निवासी एक आरपीएम तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वर पुत्र हेतराम जाति सुथार निवासी एक आरपीएम तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 719 सन 2023 निर्णय दिनांक - 15/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0 नं0 312/381 (60) के किला नं. 21 के मिन पूर्व की 0.121 है0, 21 के मिन दक्षिण की 0.006 है0, 22 की 0.253 है0 प0 नं0 312/382 (71) किला नं. 11/2 की 0.240 है0, 12, 19, 20 प्रत्येक की 0.253 है0 प0 नं0 311/382 (70) किला नं. 15/1 की 0.026 है0 गै0 मु0 खाला, 15/2 के मिन पूर्व की 0.132 है0 भूमि एवं रोही मौजा 1 आरपीएम के प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 2/4 की 0.0277 है0 एवं रोही मौजा 24 जेएसएन तहसील नोहर के प0 नं0 315/398 (7) किला नं. 4/2 की 0.215 है0, 5/2 की 0.215 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0 नं0 311/381 (60) के किला नं. 20 की 0.253 है0, 21 के मिन पश्चिम की 0.126 है0 प0 नं0 312/382 (71) के किला नं. 21/2 की 0.240 है0, 22 ता 24 की 0.759 है0 भूमि व रोही मौजा 2 आरपीएम के प0 नं0 315/397 (72) के किला नं. 16/3 की 0.063 है0, 24/1 की 0.240 है0, 25 की 0.253 है0 भूमि व रोही मौजा 1 आरपीएम के प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 2/4 के मिन उत्तरी पूर्व की 0.0277 है0 भूमि का वादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं रोही मौजा शिवपुरा तहसील नोहर के प0 नं0 311/382 (70) के किला नं. 12 ता 14 प्रत्येक की 0.253 है0, 15/2 के मिन पश्चिम की 0.095 है0, 16/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 खाला, 16/2 की 0.228 है0, 17 की 0.253 है0, व रोही मौजा 1 आरपीएम के प0 नं0 317/379 (40) के किला नं. 2/1 की 0.025 है0 गै0 मु0 रास्ता, 2/4 के मिन पश्चिम की 0.0967 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर